

फॉर्म 1

उपदान, सामान्य भविष्य निधि, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना और अनुग्रह एकमुश्त मुआवजा के लिए सामान्य नामनिर्देशन फॉर्म

[केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 का नियम 53, साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियमावली, 1960 का नियम 5, केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 का पैरा 19.7 देखिए]

मैं,, नीचे वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों को एतद्वारा नामनिर्देशित करता हूँ और मेरी मृत्यु होने की दशा में उसे/उन्हें नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक निम्नलिखित आधार पर रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करता हूँ:

- कोई उपदान जिसका संदाय केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के नियम 50 के अधीन प्राधिकृत किया जाए,
- वह रकम जो सामान्य भविष्य निधि में मेरे खाते में जमा हो,
- कोई रकम जो केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 के अधीन संस्वीकृत की जाए।

नामनिर्देशित का नाम, जन्मतिथि और पता	कर्मचारी/पेंशनभोगी से नातेदारी	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला अंश	यदि नामनिर्देशित अवयस्क है, तो उस व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि और पता जो अवयस्क के निमित्त रकम प्राप्त कर सकेगा	स्तंभ 1 के अधीन नामनिर्देशित की कर्मचारी से पूर्व मृत्यु होने की दशा में, वैकल्पिक नामनिर्देशित का नाम, जन्मतिथि, नातेदारी और पता	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला अंश	उस व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि और पता जो स्तंभ (5) में वैकल्पिक नामनिर्देशित के अवयस्क होने की दशा में रकम प्राप्त कर सकेगा	वह आकास्मिकता जिसके घटित होने पर नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा
1	2	3	4	5	6	7	8

ये नामनिर्देशन पूर्व में मेरे द्वारा किए गए किन्हीं नाम निर्देशनों को अधिक्रमित करेंगे।

स्थान और दिनांक:

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर
मोबाइल नं.

टिप्पणी 1 : उन फायदों को पूरी तरह काट दें जिनके लिए नामनिर्देशन करने को इच्छुक नहीं है। उपर्युक्त फायदों (i), (ii), (iii) के लिए विभिन्न व्यक्तियों के नामनिर्देशित किए जाने के लिए इस नामनिर्देशन फॉर्म की अलग-अलग प्रतियों का उपयोग किया जाए।

टिप्पणी 2 : सरकारी कर्मचारी अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर तिरछी रेखाएं खींचेगा ताकि हस्ताक्षर करने के बाद किसी नाम को अंतःस्थापित न किया जा सके। नामनिर्देशिती(यों)/आनुकल्पिक नामनिर्देशिती(यों) के हिस्से में उपदान की पूरी रकम आ जानी चाहिए।

(कार्यालय प्रमुख/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा भरा जाए)

निम्नलिखित नियमों/अनुदेशों के अधीन, दिनांक.....को नामनिर्देशन प्राप्त किए:-

1. उपदान के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972
2. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा), नियमावली, 1960
3. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980

श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा किया गया.....

पदनाम.....

कार्यालय.....

(अप्राप्त नामनिर्देशन को काट दें)

नामनिर्देशन (नामनिर्देशनों) की प्राप्ति की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका के पृष्ठ.....खंड..... में कर ली गई है।

कार्यालय प्रमुख/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और पदनाम, मुहर सहित प्राप्ति की तारीख

.....

प्राप्त करने वाला अधिकारी उपरोक्त जानकारी को भरेगा और सम्यक रूप से भरे फॉर्म की हस्ताक्षरित प्रति सरकारी कर्मचारी को लौटाएगा जो उसे सुरक्षित अभिरेखा में रखेगा ताकि वह उसकी मृत्यु होने की दशा में उसके हिताधिकारियों को प्राप्त हो सके।

प्राप्त करने वाला अधिकारी इस फॉर्म के दोनों पृष्ठों पर तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा।